

राजस्थान सरकार
अभियोजन निदेशालय, राजस्थान जयपुर।
क्रमांक स03-6(4)स्था/मंत्रा/अभि/2019/ 10099-181

दिनांक : 25/7/19

आदेश :-

राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ कार्यालय लिपिकीय, चतुर्थ श्रेणी भर्ती एवं अन्य सेवा नियम 2014 के नियम 28 के अन्तर्गत विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा पर अनुसूचित क्षेत्र के निम्नलिखित कनिष्ठ सहायक को वरिष्ठ सहायक के पद पर वर्ष 2018-19 की रिक्तियों के विरुद्ध राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम 2017 पे मेट्रिक्स लेवल -08 में पदोन्नत किया जाता है:-

क्र. सं.	वरिष्ठता क्रमांक	नाम कार्मिक	वर्तमान पदस्थापन	वर्ग	रिक्ति की दिनांक	वि0वि0
1.	02	श्री गजेन्द्र सिंह पुत्र श्री वक्त सिंह	कार्यालय सहायक निदेशक अभियोजन - डूंगरपुर	सामान्य	दिनांक 1.4.2018	
2.	03	श्री महेन्द्र कुमार शारदा पुत्र श्री बद्रीलाल	कार्यालय सहायक निदेशक अभियोजन - बासवाडा	सामान्य	दिनांक 1.4.2018	

उपरोक्त पदोन्नत कार्मिकों का पदोन्नति पर, पद रिक्ति की तिथि से काल्पनिक वेतन निर्धारण तथा कार्यग्रहण की तिथि से नकद लाभ देय होगा। उपरोक्त पदोन्नति हेतु सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक प. 13(5) साप्र/3/08 दिनांक 04.07.2019 द्वारा अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया गया है। उक्त कार्मिकों के पदस्थापन आदेश अलग से जारी किये जायेगे।

(Handwritten Signature)
(एस0एन0व्यास)
निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. अतिरिक्त निदेशक अभियोजन (अभियोजन) राजस्थान जयपुर।
2. समस्त उप/सहायक निदेशक अभियोजन, राजस्थान (मु.) सहित।
3. निजी सचिव, निदेशक अभियोजन।
4. अतिरिक्त निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक अभियोजन (न्याय) राजस्थान जयपुर।
5. प्रशासनिक अधिकारी/अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी अभियोजन निदेशालय।
6. सम्बन्धित कार्मिक/निजी पत्रावली
7. रक्षित पत्रावली/समस्त शाखा, अभियोजन निदेशालय राजस्थान जयपुर।

(Handwritten Signature)
निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर